बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

नियोजन भवन, चौथा तल, विंग 'ए'

आयकर गोलम्बर के निकट, नेहरू पथ, पटना।

वाहन किराये पर लेने हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

बिहार, पटना स्थित युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के लिए वाहन किराये पर लेने हेतु पात्र निविदादाताओं से वाहन (ईंधन एवं चालक सहित) को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने हेतु मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म निविदा दस्तावेज विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/yesd/CitizenHome.html से डाउनलोड कर सकते है।

पूर्व से भरी हुई निविदा पंजीकृत स्पीड–पोस्ट/ हाथों–हाथ दिनांक–27.08.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक विभागीय पता – सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, नियोजन भवन, चौथा तल, विंग 'ए' आयकर गोलम्बर के निकट, नेहरू पथ, पटना, पिन कोड–800001 में जमा की जा सकती हैं। निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे खोली जाएँगी। निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त अवसर पर उपस्थित रह सकते है।

अनुलग्नक–यथोक्त

03/8

(विशेष कार्य पदाधिकारी)
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

नियोजन भवन, चौथा तल, विंग 'ए'

आयकर गोलम्बर के निकट, नेहरू पथ, पटना।

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा दस्तावेज

बिहार, पटना स्थित युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के कार्यालय हेतु वाहन किराये पर लेने के लिए।

1) निविदा आमंत्रण

पात्र निविदादाताओं से बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, पटना के कार्यालय हेतु वाहन (ईंधन एवं चालक सहित) किराये पर लेने के लिए मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाताओं को निम्नलिखित प्रकार के वाहनों के लिए दरें उद्धृत करनी होंगी:

अनुसूची संख्या	वाहन का प्रकार	आवश्यक वाहनों की अनुमानित संख्या
1.	इनोवा हाईक्रॉस / समकक्ष	आवश्यकता के अनुसार
2.	इनोवा क्रिस्टा / समकक्ष	आवश्यकता के अनुसार
3.	स्कॉर्पियो एन / समकक्ष	आवश्यकता के अनुसार
4.	स्कॉर्पियो / अर्टिगा / समकक्ष	आवश्यकता के अनुसार
5.	स्विफ्ट डिजायर / बोलेरो / समकक्ष	आवश्यकता के अनुसार

2) निविदा प्रस्तुत करना

निविदादाता कंडिका (I) में दिए गए किसी एक या एक से अधिक वाहन प्रकारों के लिए अनुलग्नक–A में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपनी निविदा (Bid) प्रस्तुत कर सकते हैं।

एजेंसी का चयन संबंधित अनुसूची के लिए उद्धृत निविदा राशि (Bid Amount) के आधार पर किया जाएगा तथा प्रत्येक अनुसूची के लिए मूल दर के आधार पर सबसे कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता का चयन किया जाएगा।

3) सेवाओं का संक्षिप्त दायरा

I. एजेंसी को अनुसूची में दिए गए प्रकार का वाहन उपलब्ध कराना होगा।

II. वाहन का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी वाणिज्यिक लाइसेंस/परमिट/इत्यादि सभी वैध कागजात होना चाहिए।

III. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन अधिकतम तीन वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।

IV. वाहन अच्छी कार्यशील स्थिति में होना चाहिए तथा उसमें कोई खरोंच, डेंट, असामान्य आवाज आदि नहीं होनी चाहिए।

V. वाहन की सीट पर साफ–सुथरे कवर होने चाहिए।

VI. प्रत्येक वाहन के लिए एजेंसी को 21 से 50 वर्ष की आयु का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला चालक उपलब्ध कराना होगा।

VII. चालक को हर समय नाम–पट्टिका सहित साफ–सुथरी वर्दी पहननी होगी। चालक के पास कार्यशील मोबाइल फोन होना चाहिए। वर्दी एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

VIII. चालक को किसी भी समय मुख्यालय से बाहर के स्थान पर जाने एवं ठहरने के लिए तैयार रहना होगा।

IX. टोल टैक्स/पार्किंग स्थल को छोड़कर वाहन के रखरखाव आदि से संबंधित सभी कर/शुल्क एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी क्षति का दायित्व भी एजेंसी का होगा।

4) निविदादाताओं के लिए संक्षिप्त निर्देश तथा नियम एवं शर्तें

(a) निविदादाता की पात्रता एवं योग्यता (निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना है)

(i) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत एजेंसी का पंजीकरण संख्या।

(ii) GST पंजीकरण संख्या।

(iii) PAN कार्ड की प्रति।

(iv) पिछले तीन वर्षों का औसत कारोबार ₹50 लाख (पचास लाख रुपये) होना चाहिए।

(v) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के प्रत्येक वर्ष के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसमें बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान विवरण, लाभ एवं हानि विवरण तथा आय एवं व्यय विवरण शामिल होंगे। मात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(vi) पिछले तीन आकलन वर्षों अर्थात् 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 का आयकर रिटर्न की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।

(vii) प्रत्येक अनुसूची के लिए पात्र होने हेतु निविदादाता के अपने नाम पर संबंधित प्रकार के वाहन पंजीकृत होने चाहिए।

अनुसूची संख्या	वाहन का प्रकार	अपेक्षित वाहनों की समेकित संख्या
1.	इनोवा हाईक्रॉस / समकक्ष	2
2.	इनोवा क्रिस्टा / समकक्ष	3
3.	स्कॉर्पियो एन / समकक्ष	3
4.	स्कॉर्पियो / अर्टिगा / समकक्ष	3
5.	स्विफ्ट डिजायर / बोलेरो / समकक्ष	3

(viii) प्रत्येक अनुसूची के लिए पात्र होने हेतु निविदादाता द्वारा बोली जमा करने की अंतिम तिथि तक पिछले तीन वर्षों में विभिन्न सरकारी / PSU संगठनों / कार्यालयों को उपर्युक्त तालिका में दिए गए प्रकार एवं संख्या के कम–से–कम उतने ही वाहन उपलब्ध कराए गए होने चाहिए।

(b) अग्रधन राशि (Earnest Money Deposit)

₹1,00,000/– (एक लाख रुपये मात्र) की EMD किसी अनुसूचित / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट **सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना** के पक्ष में होना चाहिए। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उक्त डिमांड ड्राफ्ट / Deposit असफल निविदादाता को वापस कर दी जाऐगी। EMD पर कोई ब्याज की राशि देय नहीं होगी।

5) निविदा की तैयारी

(I) निविदा कंप्यूटर से टाइप की हुई होनी चाहिए तथा उसमें ओवरराइटिंग / काट–छाँट नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में करेक्शन फ्लुइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई संशोधन किया गया है तो उसे निविदादाता द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित / हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, अन्यथा निविदा अयोग्य घोषित की जा सकती है। सभी दस्तावेज क्रमांकित एवं निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।

(II) निम्नलिखित 2 सीलबंद लिफाफे यथा – A और B को एक सामान्य लिफाफे में रखकर पुनः सीलबंद किया जाएगा। इसे सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग नियोजन भवन, चौथा तल, विंग 'ए' आयकर गोलम्बर के निकट, (नेहरू पथ), पटना के पते पर संबोधित किया जाएगा। लिफाफे पर बिहार सरकार, पटना स्थित युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के कार्यालय हेतु वाहन की निविदा दस्तावेज तथा 28.07.2026 को अपराह्न 4:00 बजे से पहले न खोला जाए, अंकित होना चाहिए।

लिफाफा A – तकनीकी निविदा

1. ऊपर पैरा 4(C) के अनुसार अग्रधन राशि (EMD) का ड्राफ्ट।
2. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत फर्म के पंजीकरण की स्व–सत्यापित प्रति।
3. PAN कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति।
4. GST पंजीकरण की स्व–सत्यापित प्रति।
5. पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्पादित/निष्पादनाधीन अनुबंधों की सूची, जिसमें ग्राहक का नाम, कार्यादेश जारी करने की तिथि, सेवाओं का संक्षिप्त दायरा एवं अनुबंध की अवधि दी गई हो।
6. एजेंसी के अपने नाम पर आवश्यक संख्या में वाहन पंजीकृत होने का दस्तावेजी प्रमाण, अर्थात RC की स्व–सत्यापित प्रति।
7. प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/नोटरी के समक्ष शपथपत्र कि कंपनी को केंद्र सरकार/किसी राज्य सरकार/अर्ध–सरकारी संगठन द्वारा प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

लिफाफा B – वित्तीय निविदा

अनुलग्नक–A में दिए गए प्रारूप के अनुसार विधिवत भरा हुआ, मुहर लगा एवं हस्ताक्षरित वित्तीय निविदा प्रपत्र।

(III) निविदा को जमा करना

उपरोक्त सीलबंद निविदाएँ सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग नियोजन भवन, चौथा तल, विंग 'ए' आयकर गोलम्बर के निकट, नेहरू पथ, पटना के कार्यालय में 27.08.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा करनी होंगी। देर से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

6) निविदा खोलना

सबसे पहले तकनीकी निविदा 27.08.2026 को अपराह्न 4:00 बजे सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जाएगी। निविदादाता स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि का उचित फोटो पहचान–पत्र एवं प्राधिकरण पत्र के साथ निविदा खोलने की प्रक्रिया में उपस्थित रह सकता है। यदि निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को सरकारी अवकाश घोषित होता है, तो निविदाएँ अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जाएँगी। वित्तीय बोली वाले लिफाफे (लिफाफा–B) पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे और उन्हें बाद में खोलने के लिए बंद रखा जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाए गए सभी

निविदादाताओं को वित्तीय बोली उसी दिन खोली जाएगी, किसी कारणवश अगर वित्तीय निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना उक्त तिथि को ही उपस्थित निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को कर दी जाएगी।

7) मूल्यांकन एवं अनुबंध प्रदान करना (Evaluation & Award of Contracts)

सबसे पहले तकनीकी निविदा की प्रारंभिक जाँच की जाएगी। किसी दस्तावेज या EMD की कमी पाए जाने पर निविदा को इसी चरण में सीधे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद निविदादाताओं की पात्रता एवं योग्यता की जाँच एवं मूल्यांकन किया जाएगा। पात्र एवं योग्य पाए गए निविदादाताओं को तकनीकी रूप से उत्तरदायी निविदादाता माना जाएगा और उनकी वित्तीय निविदा खोली जाएगी। किसी विशेष अनुसूची के लिए सबसे कम राशि उद्धृत करने वाले निविदादाता को उस अनुसूची के लिए पसंदीदा एजेंसी के रूप में चयनित किया जाएगा।

8) अनुबंध की अवधि

अनुबंध की अवधि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से 2 वर्ष होगी। संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर आपसी सहमति से अनुबंध को आगे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं या अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है, तो एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है एवं अग्रधन/Performance Security जब्त कर लिया जाएगा।

9) कार्य निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)

(a) सेवा प्रदाता के द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि को ही Performance Security के रूप में विभाग के पास सुरक्षित रखा जाएगा। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(b) यह सफल निविदादाता को अनुबंध की समाप्ति पर वापस कर दी जाएगी।

(c) सेवाओं में गंभीर लापरवाही होने, कार्य प्रारंभ न करने, कार्य करने से मना करने/विफल रहने अथवा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्ताव से हटने की स्थिति में विभाग अग्रधन राशि जब्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में एजेंसी को उचित अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट/डिबार करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

10) निविदा दस्तावेज का अध्ययन

निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। यह माना जाएगा कि निविदादाता ने निविदा की सभी शर्तों पर विचार कर उन्हें स्वीकार कर लिया है। निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में किसी भी प्रकार की मौखिक या लिखित पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा बिना किसी शर्त के होनी चाहिए।

11) उप–ठेका एवं हस्तांतरण

सफल निविदादाता किसी उप–ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा और न ही अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेंसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करेगा। निविदादाता को अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकार एवं दायित्व किसी अन्य व्यक्ति/संगठन को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप न होने वाली निविदाएँ अस्वीकार कर दी जाएँगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12) वाहन एवं चालक की निगरानी

निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन एवं चालक युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। वाहन एवं चालक आवश्यकता के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेंगे तथा पूर्व अनुमति के बिना ड्यूटी स्थल नहीं छोड़ेंगे।

13) क्षतिपूर्ति

निविदादाता अपनी या अपने कर्मचारियों अथवा अपने नियंत्रण में कार्यरत किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण दुर्घटना, किसी व्यक्ति को चोट या सार्वजनिक अथवा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को क्षति आदि के कारण विभाग पर आने वाले सभी नुकसान, शुल्क, खर्च, दावों एवं माँगों के लिए विभाग को क्षतिपूर्ति करेगा। निविदादाता द्वारा तैनात चालक या किसी व्यक्ति को ड्यूटी के दौरान होने वाली चोट के लिए विभाग किसी भी वित्तीय या अन्य प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। इसी प्रकार वाहन दुर्घटना/चोरी/अग्निकांड/बाढ़/आदि प्राकृतिक आपदा के कारण वाहन क्षतिग्रस्त/दुर्घटनाग्रस्त की स्थिति में विभाग से कोई क्षतिपूर्ति/मुआवजा देय नहीं होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी निविदादाता/एजेंसी की होगी।

14) परिवहन एवं प्रदूषण मानक

वाहनों को बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सभी परिवहन अधिनियमों एवं लागू प्रदूषण मानकों का पालन करना होगा।

15) श्रम कानून

निविदादाता 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा। निविदादाता अपने खर्च पर न्यूनतम मजदूरी, भविष्य निधि (PF), ESI, बोनस, ग्रेच्युटी, Contract Labour Act तथा समय–समय पर लागू अन्य श्रम कानूनों/अधिनियमों/नियमों के सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा। निविदादाता द्वारा श्रम कानून या अन्य लागू कानून के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16) नियोक्ता–कर्मचारी संबंध

विभाग निविदादाता के किसी भी कर्मचारी को अनुबंध अवधि के दौरान या अनुबंध समाप्त होने के बाद रोजगार प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा। विभाग और एजेंसी द्वारा तैनात कर्मचारियों के बीच कोई नियोक्ता–कर्मचारी संबंध नहीं माना जाएगा।

17) वाहन के दस्तावेज एवं बीमा

विभाग को उपलब्ध कराए गए सभी वाहन अच्छी चलने की स्थिति में होने चाहिए तथा परिवहन विभाग के वैध दस्तावेज/लाइसेंस रखने चाहिए। वाहन एवं चालक के लिए वैध बीमा पॉलिसी तथा लागू होने पर तृतीय–पक्ष बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

18) वाहन का रखरखाव

निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों के पूर्ण रखरखाव की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

19) मोटर वाहन कानून

वाहनों एवं चालकों का संचालन एवं कार्य मोटर वाहन अधिनियम/मोटर वाहन नियमों अथवा अन्य लागू सरकारी मोटर वाहन नियमों के अधीन होगा और इसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

20) अल्प सूचना पर वाहन उपलब्ध कराना

निविदादाता को विभाग की आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने होंगे और आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी वाहन उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें सुबह जल्दी (Early Morning) एवं देर शाम भी शामिल है। वाहनों का प्रारंभिक स्थान गैरेज से गैरेज तक अधिकतम 10 किलोमीटर माना जाएगा।

21) लॉगबुक/ड्यूटी स्लिप

वाहन के साथ तैनात चालक को प्रत्येक वाहन के लिए लागू लॉगबुक/ड्यूटी स्लिप बनाए रखनी होगी और यात्रा को संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी से सत्यापित कराना होगा।

22) वाहन का प्रतिस्थापन

मरम्मत के कारण, दुर्घटना के कारण रोके जाने, ड्यूटी पर वाहन के नहीं आने या वाहन के खराब होने की स्थिति में निविदादाता को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।

23) वाहन खराब होने की स्थिति

किसी वाहन के खराब होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता एजेंसी को एक घंटे के भीतर वाहन बदलना होगा। ऐसा न करने पर विभाग को निविदादाता के खर्च पर किसी अन्य स्रोत से वाहन किराये पर लेने का अधिकार होगा।

24) चालक को हटाना

यदि कोई चालक सक्षम, व्यवस्थित या अनुशासित नहीं पाया जाता है, तो विभाग अनुबंधकर्ता एजेंसी से उस चालक को हटाने के लिए कह सकता है।

25) अनुबंध समाप्त करने का अधिकार

सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना को अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय निविदादाता को 30 दिन की नोटिस देकर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

26) समझौते पर हस्ताक्षर न करने की स्थिति

कार्य के लिए प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद यदि चयनित एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहती है, तो EMD जब्त कर ली जाएगी।

27) अनन्य अधिकार (Exclusivity) का न होना

इस निविदा के अंतर्गत चयनित निविदादाता/सेवा प्रदाता के साथ किए जाने वाले अनुबंध को अनन्य (Exclusive) अनुबंध नहीं माना जाएगा। विभाग को यह अधिकार होगा कि वाहनों की आवश्यकता, मांग की मात्रा, तात्कालिकता अथवा विभाग की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता पड़ने पर, चयनित निविदादाता/सेवा प्रदाता के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी, सेवा प्रदाता, विक्रेता, सरकारी एजेंसी अथवा अन्य पात्र स्रोत से भी वाहन प्राप्त/किराये पर लेने अथवा सेवा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

चयनित निविदादाता/सेवा प्रदाता को विभाग की वाहन संबंधी समस्त अथवा न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता की आपूर्ति का कोई अनन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विभाग द्वारा किसी अन्य एजेंसी/ सेवा प्रदाता से वाहन प्राप्त करने अथवा सेवा लेने के कारण चयनित निविदादाता/सेवा प्रदाता द्वारा किसी प्रकार के न्यूनतम कार्यादेश, न्यूनतम व्यवसाय, निश्चित मात्रा में कार्य/वाहन की मांग अथवा किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा।

चयनित निविदादाता/सेवा प्रदाता को भुगतान केवल उन्हीं वाहनों/सेवाओं के लिए किया जाएगा, जिन्हें विभाग द्वारा उसकी आवश्यकता के अनुसार विधिवत् अधियाचित

(requisitioned) किया गया हो तथा जो उसके द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार वास्तव में उपलब्ध/प्रदान किए गए हों।

28) विवाद निपटारा

इस अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को पहले आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो विवाद को उस समय लागू मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act) के प्रावधानों के अंतर्गत पटना क्षेत्राधिकार में मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

29) दंड

यदि समयबद्धता, चालक के आचरण, वाहन की साफ-सफाई एवं रखरखाव से संबंधित किसी शिकायत का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान नहीं किया जाता है, तो एजेंसी पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग को किसी अन्य स्रोत से सेवा प्राप्त करने का अधिकार होगा तथा इस पर होने वाली लागत एजेंसी से वसूल की जाएगी। यह राशि सेवा प्रदाता को देय भुगतान से या Performance Security जमा राशि से वसूल की जा सकती है। यदि अनुबंध में निर्धारित मॉडल/मेक से निम्न स्तर का वाहन उपलब्ध कराया जाता है या प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो संबंधित बिल की अधिकतम 20% राशि तक का जुर्माना भी काटा जा सकता है।

30) भुगतान की शर्तें

(a) कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद स्वीकृत दरों पर मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा। यदि कोई दंड लागू हो तो उसे काटने के बाद भुगतान किया जाएगा। कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। बिल प्रस्तुत करते समय अनुबंधकर्ता को वाहन का पूरा पंजीकरण नंबर तथा उपयोगकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ड्यूटी स्लिप स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

(b) ड्यूटी स्लिप में ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि ओवरराइटिंग होती है तो अनुबंधकर्ता/वाहन प्रदाता का दायित्व होगा कि वह ओवरराइटिंग पर उपयोगकर्ता के उचित हस्ताक्षर प्राप्त करे।

(c) युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा देय राशि पर निर्धारित नियमों के अनुसार TDS की कटौती की जाएगी।

31) निविदा संशोधित/अस्वीकृत करने का अधिकार

सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निविदा शर्तों में संशोधन करने या उन्हें अस्वीकार करने या निविदा प्रक्रिया को पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

03/8/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

अनुलग्नक–A

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	दर (सभी करों सहित)							
		अनुसूची–I			अनुसूची–II			अनुसूची–III	
		स्थानीय बुकिंग (Local Booking)			बाहरी बुकिंग (Out Station Booking)			मासिक बुकिंग (Monthly Booking) मासिक बुकिंग में वाहन एवं चालक पदाधिकारी के साथ पूर्णमाह 24x7 सम्बद्ध रहेगा। Out Station जाने पर कोई अतिरिक्त रात्री ठहराव भुल्क देय नहीं होगा।	
		पूर्ण दिवस–A (75 कि०मी०/12 घंटे) (मूल दर)	अतिरिक्त प्रति घंटे दर	अतिरिक्त प्रति कि०मी० दर	मूल दर प्रति कि०मी०	रात्रि ठहराव का दर	न्यूनतम प्रभार्य कि०मी० प्रतिदिन	1500 कि०मी० तक (मूल दर)	अतिरिक्त दर (प्रति कि०मी०)
1.	इनोवा हाईक्रॉस/समकक्ष								
2.	इनोवा क्रिस्टा/समकक्ष								
3.	स्कॉर्पियो एन/समकक्ष								
4.	स्कॉर्पियो/अर्टिगा/समकक्ष								
5.	स्विफ्ट डिजायर/बोलेरो/समकक्ष								

नोटः– यदि अनुसूची III में सबसे कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता द्वारा अनुसूची I एवं II में उद्धृत दर अन्य निविदादाताओं की तुलना में अधिक है, तो अनुसूची I एवं II के लिए उसके साथ दर पर बातचीत की जा सकती ळें

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मुहर

निविदादाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम